



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)
अग्रणी महाविद्यालय, जिला विदिशा (म.प्र.)

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत 17 बिन्दुओं की जानकारी

क्र.	बिन्दु	उत्तर				
1	अपने संगठन की विशिष्टता, कृत्य और कर्तव्य	जिले के शासकीय, अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय महाविद्यालयों का निरीक्षण की व्यवस्था।				
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य	<ul style="list-style-type: none">● प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय जिले स्तर पर महाविद्यालयों प्रबंधन अन्य कार्यों का मार्गदर्शन एवं निरीक्षण।● शासन द्वारा पाठ्यक्रमों की मान्यता की निरंतरता, अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान एवं निरीक्षण।● अशासकीय अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय महाविद्यालयों के नोडल अधिकारी।● जिले महाविद्यालयों की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं का आयोजन एवं व्यवस्था।● क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं अन्य उच्च अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन जिले के महाविद्यालयों द्वारा सुनिश्चित करवाना।				
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं,	प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय जिला स्तर पर लोक सूचना अधिकारी एवं विकास खंड स्तर पर संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य लोक सूचना अधिकारी हैं।				
	क्र	विकास खंड का	कार्यरत प्राचार्य का नाम	प्राचार्य	का	रिमार्क

		नाम		मोबाइल नं.		
		1	विदिशा	डॉ. रेखा बरेठिया, शासकीय कन्या अग्रणी महाविद्यालय, विदिशा	9425453114	प्राचार्य
		2	विदिशा	डॉ. डीएन श्रीवास्तव, शासकीय महाविद्यालय, विदिशा	9425443062	प्रभारी
		3	गंजबासौदा	डॉ. मथुरा प्रसाद, शासकीय एसजीएस महाविद्यालय, गंजबासौदा	9893339211	प्राचार्य
		4	गंजबासौदा	प्रो.इन्दीवर जैन, सुभद्रा शर्मा कन्या महाविद्यालय, गंजबासौदा	9329665989	प्रभारी
		5	सिरोंज	डॉ.एमपी मिश्रा, शासकीय एलबीएस महाविद्यालय, सिरोंज	9425010163	
		6	कुरवाई	डॉ.अशोक पारिख, शासकीय महाविद्यालय कुरवाई	9406673534	प्रभारी
		7	शमशाबाद	डॉ.एस.आर. तिवारी, शासकीय महाविद्यालय, शमशाबाद	9977321663	प्रभारी
		8	लटेरी	डॉ. एमएस यादव, शासकीय महाविद्यालय, लटेरी	9893095606	प्रभारी
		9	नटेरन	डॉ.एके चतुर्वेदी, शासकीय महाविद्यालय ,नटेरन	9425464185	प्रभारी
		10	गुलाबगंज	डॉ.लालचंद राजपूत, शासकीय महाविद्यालय, गुलाबगंज	9479390106	प्रभारी
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान	शासन द्वारा निर्धारित मापमान				
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग	शासन एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश अधिकारी, कर्मचारी आचार				

	किये गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेश	संहिता में वर्णित अनुदेश।
6	ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण	जिले समस्त प्राध्यापकों, सहायक प्राध्यापकों, ग्रंथपालों, क्रीड़ाधिकारियों, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली का संधारण क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक एवं शासन स्तर पर किया जाता है। शिकायतों का जिले स्तर पर निराकरण प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। समस्त अधिकारी कर्मचारियों के समस्त प्रकरण का निराकरण संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य द्वारा किया जाता है एवं सेवा पुस्तिकाओं का संधारण भी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा ही किया जाता है।
7	किसी व्यवस्था की विशिष्टयां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अम्यावेदन के लिये विद्यमान है,	जिले समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों के विरुद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी।
8	ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है कि क्या बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी	महाविद्यालय विकास के लिये मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति का गठन किया गया है जिसमें कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पदेन अध्यक्ष, प्राचार्य/सचिव, विधायक एवं सांसद,सदस्य अथवा उनके प्रतिनिधि एवं अध्यक्ष द्वारा घोषित विभिन्न समुदायों के सदस्य रहते हैं।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका,	शासन आदेशों के अनुरूप

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथाउपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित है	निरंक
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट	शासन द्वारा आवंटित बजट का आहरण, संवितरण संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किया जाता है।
12	सहायिका कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं	जिले के महाविद्यालयों को शासन द्वारा आवंटित बजट एवं छात्रवृत्तियों/गांव की बेटी/प्रतिभा किरण योजना/विक्रमादित्य योजन/आवागमन योजना एवं आवास योजना का लाभ संबंधित प्राचार्य द्वारा छात्र-छात्राओं को दिया जाता है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां	आवेदनकर्ताओं द्वारा जो भी जानकारी चाही जाती है उसे कार्यालय की उपलब्धता के आधार पर यथासमय उपलब्ध करा दी जाती है।
14	किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हों	निरंक
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनके अंतर्गत किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए असुरक्षित हैं तो कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं	कार्यालयीन समय में।

16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम पदनाम और अन्य विशिष्टयां	जिला स्तर पर डॉ.श्रीमती रेखा बरेठिया प्राचार्य, शासकीय कन्या अग्रणी महाविद्यालय, विदिशा जिले के समस्त महाविद्यालयों के लिये संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
17	ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए	निरंक

डॉ.(श्रीमती) रेखा बरेठिया
प्राचार्य
शासकीय कन्या (अग्रणी) महाविद्यालय,
विदिशा (म.प्र.)